म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/नियमन/रबी उर्पाजन/पार्ट–4/1635 भोपाल, दिनांक 3 /04/2019

प्रति,

1 संयुक्त/उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा

2 भारसाधक/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... म0प्र0 (समस्त)

विषयः–रबी विपणन मौसम 2019–20 समर्थन मूल्य पर उपार्जन में नियमन व्यवस्था हेतु दिशा–निर्देश।

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी वर्ष 2019–20 में गेहूँ, चना,0 मसूर एवं सरसो की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु निर्देश जारी किये गये है।

म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 36(3) के परन्तुक के अनुसार एवं उपविधि कंडिका 16(2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी कृषि उपज के औसत अच्छी किस्म के मापदण्डो के लिए घोषित समर्थन मूल्य कीमत से कम कीमत पर नीलामी/घोष विक्रय प्रारम्भ नही किये जाने का प्रावधान है।

जिसके अन0क्रम मे प्रदेश की मण्डी समितियों में नियमन व्यवस्था को सुदुढ बनाये जाने हेतु मण्डीयों में निम्नानुसार व्यवस्था करे :–

1 मण्डी समितियो मे ध्वनि विस्तारक यंत्रो के माध्यम से प्रत्येक दिवस निरंतर घोषणा कराई जावे। मण्डी समितियो हेतु नियुक्त की गई उपार्जन संस्थाओ से सतत् संपर्क कर मण्डी प्रांगण मे सन्दर्भित विषय के प्रचार–प्रसार हेतु बैनर लगाये जावे। उद्घोषणा का कार्य आदेश जारी दिनांक से उपार्जन कार्य समाप्त होने तक की अवधि मे निरंतर जारी रहेगा तथा बैनर आदि मण्डी प्रांगण मे आवश्यक रूप से दृष्टि पटल स्थानो पर लगाया जाना सुनिश्चित करे।

2 मंडियो मे कंट्रोल रूप स्थापित किया जावे एवं शिकायत पंजी संधारित की जावे। जिसमे गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसो खरीदी के संबंध मे प्राप्त शिकायतो का तुरंत निराकरण किया जावे तथा समर्थन मूल्य खरीदी संबंधी प्राप्त शिकायत से तत्काल जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया जावे।

3 मण्डी क्षेत्र व मण्डी प्रांगण अन्तर्गत उपार्जन केन्द्रो से मण्डी सचिव सतत् सम्पर्क मे रहेगे तथा मण्डी प्रांगण मे कार्यरत उपार्जन केन्द्रो से एसएमएस की सूची प्राप्त कर प्रवेश द्वार पर समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु बुलाई गये कृषको की सूची दैनिक रूप से प्रदर्शित की जाये तद्नुसार प्रवेश आदि पर नियंत्रण व निगरानी करेगे।

4. , रबी उपार्जन हेतु किसान को आवंटित निर्धारित खरीदी एजेन्सी/केन्द्र पर अमानक गेहूँ अथवा अपंजीकृत गेहूँ अथवा चना, मसूर एवं सरसो किसान जो अपनी स्वेच्छा से मण्डी प्रांगण मे खुली नीलाम पद्धति से कृषि उपज गेहूँ या चना, मसूर एवं सरसो विक्रय करना चाहता है तो ऐसी स्थिति मे समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय होने पर संबंधित मण्डी सचिव संबंधित किसान की कृषि उपज गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसो विक्रय संबंधित पंचनामा तैयार करेगे तथा उसका समक्ष मे सेम्पल लेकर उसमे सेम्पल पर्ची रखकर सीलड की जावे और सम्पूर्ण जानकारी संलग्न प्रारूप पंजी मे कृषकवार संधाारित की जावे। यही व्यवस्था समानान्तर रूप से समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय होने की दशा मे लागू रहेगी।

5 निर्धारित क्रय केन्द्र पर यदि किसानो के गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसो को क्रय करने से इंकार किया जाता है तो ऐसे गेहूँ का माईश्चर मीटर मे नमी माप कर एवं अन्य पैरामीटर का आंकलन करते हुये गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसो मानक स्तर का न होने संबंधी पूर्ण पंचनामा तैयार कर खरीदी केन्द्र के प्रभारी तथा शासन द्वारा निर्धारित समिति के समक्ष हस्ताक्षर कराकर पंजी मे दर्ज कर नमूना सीलड कर आवश्यक रूप से सुरक्षित रखेगे। तत्पश्चात खुली नीलामी मे किसान भाग लेगा। उक्त स्थिति पंजीकृत अथवा अपंजीकृत किसानो के लिये समान रूप से लागू होगी तथा बिन्दु क्रमांक 4 मे दी गई प्रकिया का पालन करते हुये अनुबंध आदि जारी होगा।

6 कृषि उपज मण्डी प्रांगणो मे खुले घोष विक्रय मे समर्थन मूल्य से कम पर बोली प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार नीलामी को कुछ समय के लिये स्थगित कर पुनः आरम्भ किया जाये साथ ही किसानो को दूसरे चरण की नीलामी मे पुनः भाग लेने हेतु समझाईश दी जावे। कृषि उपज मण्डी समिति के कर्मचारियो एवं अधिकारियो को सदैव प्रयासरत रहकर यह सुनिश्चित करना होगा कि मानक स्तर के गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसो का विक्रय समर्थन मूल्य से कम पर न होने दिया जाये।

7 मण्डी प्रांगण मे छलनी, ग्रेड सुधारने हेतु यंत्र, माईश्चर मीटर, भोजन व्यवस्था (केन्टीन), बिजली, जनरेटर, तौल कांटो का सत्यापन, जल व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था से संबंधित समस्त कार्यवाही मण्डी सचिव तत्काल सुनिश्चित कर लेवे।

8 · नीलामी शेड/चबूतरे रिक्त हो उन पर किसी भी व्यवसायिओ के अनाज बोरे न रखे जावे अर्थात् प्रतिदिन शेड खाली कराये जावे।

9 मण्डी समितियो मे पदस्थ समस्त कर्मचारीगण डियूटी के समय निर्धारित गणवेश मे उपस्थित रहगे। उपार्जन सत्र मे मण्डी सचिव एवं अधीनस्थ कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेगे एवं बगैर सक्षम अनुमति के मुख्यालय नही छोड़ेगे। मण्डी समिति मे पदस्थ समस्त कर्मचारियो का अवकाश 31 मई 2019 तक स्थगित किया जाता है। केवल अति विशेष परिस्थितियो मे मण्डी कर्मचारियो के अवकाश मण्डी सचिव की अनुशंसा के आधार पर एवं मण्डी सचिव का अवकाश आंचलिक उप संचालक/संयुक्त संचालक द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

10 कृषि उपज मण्डी समिति में निर्बाध रूप से क्रय–विक्रय को ध्यान में रखते हुये यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश रखना आवश्यक हो तो भारसाधक अधिकारी द्वारा कृषक प्रतिनिधियों से विचार विमर्श एवं सहमति उपरांत ही निर्णय लिया जाये और ऐसे अवकाश के पर्याप्त समय पूर्व सर्वसंबधितों की जानकारी के लिये मण्डी प्रागंण में उद्घोषणा और अन्य साधन से प्रचार–प्रसार किया जायें, ताकि किसानों को असुविधा ना होवें।

11 मण्डी प्रागंण में किसानों की समस्याओं के त्वारित निराकरण के लिये दो मण्डी निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक को तैनात किया जाये। मण्डी कर्मचारीयों द्वारा ड्यूटी के दौरान वर्दी अनिवार्यतः पहनी जाना सुनिश्चित करें। मण्डी के सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को घोष विक्रय में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाये, ताकि किसानों को उनकी कृषि उपज का प्रतिस्पर्धात्मक कीमत प्राप्त हो सकें।

12 मण्डी कर्मचारियों का यह सतत् प्रयास रहेगा कि किसी भी स्थिति में किसानों को समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय मण्डी समितियों द्वारा ना कराया जाये और समर्थन मूल्य से कम पर बिकने वाले गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसो की एफ.ए.क्यू की गुणवत्ता के निर्धारण में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाये।

13. उपार्जन केन्द्र/मण्डी प्रांगण मे समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसो के निर्गमन के समय मण्डी अधिनियम/उपविधि के प्रावधानो के अनुसार प्रारूप–दस प्राप्त कर अनुज्ञा पत्र जारी कराया जाना सुनिश्चित करे।

15 यदि किसी भी मंडी समिति मे गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसो के दैनिक मॉडल भाव, समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल से कम होना पाया जाता है तो आंचलिक संयुक्त/उपसंचालको का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल इसकी जॉच करे/कराये और दोषियो का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए संलिप्त पाये गये अधिकारी/कर्मचारियो के विरूद्ध प्रस्ताव मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/नियमन/रबी उर्पाजन/पार्ट-4/1636 भोपाल, दिनांक 3 /04/2019

प्रतिलिपिः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।

2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

3 प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल।

4 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल।

4. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।

5. कलेक्टर, जिला.............................(समस्त)।

6. अपर संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

7. संयुक्त/उप संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

8. चीफ प्रोग्रामर (एमआईएस) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर निर्देशित किया जाता है कि विषयांतर्गत गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसो उपार्जन की दैनिक मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करे।

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल